पेश करें अन्यथा पत्रावली 09 R8 में खारिज करदी जायेगी पत्रावली दिनांक 19.12.25 को पेश हो।

19-12-25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप.। प्रति. सं. 9 का डाक स्टेटस पेश किया। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाती है। बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभांति अवलोकन किया गया अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण से संबंधित दावे में भूमि का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है अतः सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है।

ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़ें एवं कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो।

इसको ध्यान में रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.04.2022 को ताफैसला मूलवाद पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, तथा संलग्न मूल वाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०